राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– नारायणलाल जीनगर आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :– 323/2023 पत्थर

श्री भासु पुत्र पेमा जाट निवासी भटवाडा – तह० करेडा

प्रार्थी........

बनाम

राज० सरकार जरिये तहसीलदार करेडा

विपक्षीगण....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 10/6/23

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा०भू०राज०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत क निवेदन किया कि ग्राम भटवाडा पटवार हल्का भटवाडा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों व खाता संख्या......15............ आराजी नम्बर 1822/550,..........

....

....

....

.... कुलकिता....1...... रकबा 0.1265............हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध् आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अप खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 9/6/23......... को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकना से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किर प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार प आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........................ ......भटवाडा........ पटवार हल्का....भटवाडा............... तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या ......15............ आराज नम्बर..................1822/550,..........

....

....

....

....

कुलकिता.....1......... रकबा 0.1265.......... हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरग किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक करेडा..........को....................../– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुव किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी मौंके व कब्जे की यथारिथति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खर होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 15:07:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा